सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 489 राँची, रविवार

21 आषाढ़, 1937 (श०)

12 जुलाई, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

25 जून, 2015

कृपया पढ़े:-

1. उपायुक्त, सिमडेगा का पत्रांक- 967(ii)/जि0ग्रा0, दिनांक 24 मई, 2010
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-7056, दिनांक 16 नवम्बर, 2010, पत्रांक-9401, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 संकल्प सं0-7954, दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 एवं संकल्प सं0-8198, दिनांक 14 जुलाई, 2012
3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-109, दिनांक 15 अप्रैल, 2014

संख्या-5/आरोप-1-503/2014 (पार्ट-प्) का.-5644-- श्री पवन कुमार मंडल, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-738।/03, गृह जिला- देवघर), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बानो, सिमडेगा के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोपों हेतु प्रपत्र- 'क' में आरोप उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक- 967(ii)/जि0ग्रा0, दिनांक 24 मई, 2010

द्वारा प्राप्त है। श्री मंडल के विरूद्ध आरोप एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के सीमक्षोपरान्त विभाग द्वारा प्रपत्र-'क' पुनर्गठित किया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं :-

1. साहूबेड़ा ग्राम पंचायत के ग्राम सेमरटोली, हाटिंग होड़े में उरमू पथ पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण योजना सं0- 21/08-09- इसकी प्राक्कलित राशि मो0-94,000.00 रू० है। योजना की तकनीकी स्वीकृति देने वाले सहायक अभियन्ता या कार्यपालक अभियन्ता का हस्ताक्षर अभिलेख में नहीं है। तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री पवन कुमार मंडल द्वारा इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक

15 अगस्त, 08 को राशि मो0- 94,000.00 रू० की दी गई है। इस योजना में कार्य प्रारम्भ करने के लिए दिनांक 08 सितम्बर, 08 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बानो एवं पंचायत सचिव द्वारा प्रथम अग्रिम मो0- 7500.00 रू0 का चेक द्वारा लाभुक समिति को भुगतान किया गया है। पुनः एक सप्ताह के अन्दर कनीय अभियन्ता की अनुशंसा पर मो0-30,000.00 रू0 की द्वितीय अग्रिम का चेक द्वारा भुगतान किया गया है। तत्पश्चात् दिनांक 18 सितम्बर, 08 को मात्र द्वितीय अग्रिम के तीन दिनों के बाद ही तृतीय अग्रिम 20,000.00 रू0 का चेक द्वारा भुगतान कनीय अभियन्ता की अनुशंसा पर पंचायत सेवक और प्रखंड विकास पदाधिकारी, बानो द्वारा किया गया है। योजना स्थल पर जांच के क्रम में यह पाया गया कि पुलिया का निर्माण प्राक्कलन के अनुरूप नहीं है।

2. साहूबेड़ा ग्राम पंचायत के गिरजाटोली में आर0सी0सी0 पुल का निर्माण:- योजना सं0- 19/08-09 की इस योजना की प्राक्कलित राशि भी मो0- 94,000.00 रू० है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति क्रमशः दिनांक 06 अगस्त, 08 एवं 20 अगस्त, 08 को दी गई है। इस योजना में दिनांक 08 सितम्बर, .08 को प्रथम अग्रिम मो0- 7500.00 रू0 एवं द्वितीय अग्रिम दिनांक 15 सितम्बर, 08 को 30,000.00 रू० एवं तृतीय अग्रिम मो0- 20,000.00 रू0 दिनांक 18 सितम्बर, 08 को भुगतान किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त योजना की तरह ही इस योजना में भी कुल अग्रिम मो0- 57,500.00 रू० दिनांक- 08 सितम्बर, 08 से 18 सितम्बर, 08 यानि 10 दिनों के अन्दर बिना किसी काम के कनीय अभियन्ता से गलत अनुशंसा प्राप्त कर पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री पवन कुमार मंडल और पंचायत सेवक श्री सूरसेन साह (पूर्व पंचायत सेवक) निवर्तमान कोलेबिरा प्रखंड द्वारा भुगतान किया गया, जो प्रथम द्रष्टया घोर वित्तीय अनियमितता है।

योजना स्थल पर जाँचोपरान्त पाया गया कि यहाँ नाम मात्र के लिए सिर्फ एक या दो मजदूर को लगाकार मिट्टी खुदाई की गई है। इस प्रकार विगत एक साल के बीच योजना की राशि से

कोई कार्य नहीं कराया गया और मात्र साईन बोर्ड लगाकर पूर्ण राशि हड़प ली गई है जो एक गंभीर वित्तीय गबन है।

3. बड़काडुईल पंचायत के ठाकुरटोली ग्राम के बरकानाला पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण:- इस योजना की संख्या-29/08-09 है, जिसकी प्राक्कलित राशि 94,000.00 रू० है। इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। इस योजना में दिनांक 02 सितम्बर, 08 को प्रथम अग्रिम 7,500.00 रू० चेक द्वारा भुगतान किया गया है। दुसरी अग्रिम मो0- 40,000.00 रू० का भुगतान दिनांक 05 सितम्बर, 08 यानी दो दिन के बाद ही यह आदेश लिखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किया है कि योजना स्थल पर नींव खुदाई हो चुकी है और सामग्री स्थल पर मोजूद है। अभिकर्ता के आवेदन पर कनीय अभियन्ता का या पंचायत सेवक का कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं है। स्थल पर जाँच के क्रम में कोई भी कार्य नहीं पाया गया, न यहाँ पर कोई निर्माण सामग्री ही मिली ।

इस प्रकार तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पवन कुमार मंडल, तत्कालीन पंचायत सेवक बृजबिहारी प्रसाद निवर्तमान पंचायत सेवक सिमडेगा प्रखंड तथा लाभुक समिति के अध्यक्ष और सचिव कागजी योजना तैयार कर विगत एक वर्ष से सरकारी राशि मो0- 47,500.00 रू० गबन कर गए हैं। यह योजना जिस स्थल पर ली गई है वहाँ आर0सी0सी0 पुलिया की कोई आवश्यकता नहीं है।

4. बड़काडुईल ठाकुरटोली अम्बादोन में योजना सं0- 28/08-09- इस योजना की भी प्राक्कलित राशि मो0- 94,000.00 रू० है और यह योजना भी आर0सी0सी0 निर्माण के लिए तकनीकी स्वीकृति दिनांक 15 अगस्त, 08 को तथा प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 20 अगस्त, 08 को दी गई है।

इस योजना में भी दिनांक 02 सितम्बर, 08 को 7,500.00 रू० की प्रथम अग्रिम एवं दिनांक 05 सितम्बर, 08 को द्वितीय अग्रिम मो0- 40,000.00 रू० की स्वीकृति दी गई है। सरकारी राशि गबन करने की नियत से जल्दबाजी में अभिलेख संधारण भी नहीं किया गया। इस योजना की वही स्थिति और परिस्थिति है जो उपरोक्त योजना सं0- 29/08-09 की है।

5. उकौली पंचायत के कराजारा गाँव के कुसुम पोईन के पास आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण- इस योजना सं0- 04/08-09 में भी प्राक्कलित राशि मो0- 94,000.00 रू० है, जिसकी प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति दिनांक 10 अगस्त, 08 को दी गई है। अभिकर्ता को प्रथम अग्रिम मो0- 7,500.00 रू० दिनांक 24 अगस्त, 08 को दी गई है तथा दूसरी अग्रिम मो0 - 50,000.00 रू० कनीय अभियन्ता की अनुशंसा पर दिनांक 10 सितम्बर, 08 को भुगतान की गई है। परन्तु स्थल जाँच के क्रम में पाया गया कि इस सुदूर उग्रवाद प्रभावित गाँव के इस योजना स्थल पर कोई कार्य नहीं किया गया है। इस पोईन

के स्थल पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण की आवश्यकता ही नहीं थी। इस स्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने बतलाया कि उन्हें मालूम नहीं है कि किस आम सभा के द्वारा यह योजना चयन की गई।

6. ग्राम पंचायत उकौली काराजरा गंझूबांध के पास गार्डवाल निर्माण की योजना यह योजना 02/08-09 की कुल प्राक्कलित राशि मो0- 1,00000.00 रू0 है। इस योजना में भी प्रथम अग्रिम मो0- 7,500.00 रू0 दिनांक 23 अगस्त, 08 एवं द्वितीय अग्रिम मो0 50,000.00 रू0 दिनांक 10 सितम्बर, 08 को भुगतान की गई है। इस द्वितीय अग्रिम के आवेदन पर भी कनीय अभियन्ता ने अपनी अनुशंसा में अंकित किया है कि गार्डवाल निर्माण कार्य हो चुका है आगे कार्य करने हेतु 50,000.00 रू० अग्रिम दिया जा सकता है। इस योजना के कार्यस्थल की जाँच की गई। यहाँ भी गार्डवाल योजना की कोई आवश्यकता और उपयोगिता है ही नहीं। मौजूद ग्रामीणों ने बतलाया कि गलत आम सभा और गलत लाभुक समिति का चयन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री पवन कुमार मंडल एवं पंचायत सेवक तत्कालीन द्वारा सरकारी राशि हड़पने की मंशा से किया गया है।

7. उकौली पंचायत के ग्राम- बुरूहोंजर से कराजरा पथ पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण:- यह योजना भी 3 गुना 2 आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण के लिए स्वीकृत है। योजना सं0- 01/08-09 है। जिसकी प्राक्कलित राशि मो0-94,000.00 रू० है। इस योजना में दिनांक 23 अगस्त, 08 को प्रथम अग्रिम मो0- 7,500.00 रू0 एवं दिनांक 10 सितम्बर, 08 को मो0- 50,000.00 रू0 की दूसरी अग्रिम बिना काम कराये जान बूझकर प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत सेवक ने सरकारी राशि के गबन की मंशा से भुगतान किया। इस गाँव की श्री सुधीर मुन्डा ग्राम अध्यक्ष हैं ने बतलाया कि पंचायत सेवक और प्रखंड विकास पदाधिकारी इस योजना के चयन क्रियान्वयन के लिए कभी नहीं आये। कहीं कोई काम नहीं किया गया है।

8. उपरोक्त तीनों योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त, सिमडेगा दिनांक 18 जुलाई, 09 को बानो प्रखंड में उप विकास आयुक्त, सिमडेगा के साथ अभिलेखों को देखने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी, बानो को कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। इस कार्रवाई के बचने के लिए पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी के इशारे पर तत्कालीन पंचायत सेवक श्री रवि बड़ाईक और लाभुक समिति के अध्यक्ष श्री पुरेन्द्र सिंह तथा सचिव राजेश सिंह ने योजना सं0- 01/08-09, 02/08-09 और 04/08-09 में क्रमशः ली गई राशि मो0 57,500+57,500+57,500= 1,32,500.00 रू० उकौली पंचायत के नरेगा कोष के तहत बचत खाता सं0- 10691 में जमा किया। यह राशि प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबोधित आवेदन पत्र में यह अंकित करते हुए वापस की गई कि निर्माण कार्य में व्यवधान हो जाने के कारण यह राशि वापस की जाती है। उल्लेखनीय है कि योजना में दी गई अग्रिम से तत्कालीन प्रखंड

विकास पदाधिकारी एवं पंचायत सेवक के कार्यकाल तक कोई काम नहीं किया गया। पंचायत सेवक के स्थानान्तरण हो जाने के कारण वर्तमान पंचायत सेवक और प्रखंड विकास पदाधिकारी, बानो द्वारा जब योजना सं0- 01/08-09 पर नोटिस करते हुए मापी पुस्त, भाठचर और मास्टर रोल लाभुक समिति से दिनांक 11 जून, 09 को मांग की तब तक लाभुक समिति के अभिकर्ता और पंचायत सेवक तथा पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई। जब इन्हें मालूम हुआ कि अब ये बच नहीं सकते तो आनन-फानन में राशि का जुगाड़ कर बैंक में जमा कर अपने कुकृत्य से बचने का उपाय कर रहे हैं। राशि जमा किया जाना गबन की पूर्व मंशा द्योतक है। यह अपने आप में साक्ष्य ही माना जाएगा।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए श्री मंडल से विभागीय पत्रांक-7056, दिनांक 16 नवम्बर, 2010 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्रांक-25 (कैम्प), दिनांक 18 नवम्बर, 2010 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-7954, दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 द्वारा श्री मंडल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री राजेश कुमार शर्मा, भा0प्र0से0, निबंधक, सहायोग समितियाँ, सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः विभागीय संकल्प सं0-8198, दिनांक 14 जुलाई, 2012 द्वारा श्री राजेश कुमार शर्मा, भा0प्र0से0, निबंधक, सहायोग समितियाँ, सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के स्थान पर श्रीमती शीला किस्कू रपाज, सेवानिवृत भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेशन बिल्डिंग, एच0ई0सी0, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्रीमती शीला किस्कू रपाज, सेवानिवृत भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी- सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-109, दिनांक 15 अप्रैल, 2014 द्वारा श्री मंडल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री मंडल के विरूद्ध सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

श्री मंडल के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए इनके दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने तथा निन्दन का दण्ड प्रस्तावित करते हुए इनसे विभागीय पत्रांक-9401, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। कई स्मारों के बाद श्री मंडल ने पत्रांक-39, दिनांक 10 जनवरी, 2015 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया, जिसमें मुख्यतः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिमडेगा द्वारा इनके विरूद्ध वर्णित आरोपों के लिए दर्ज प्राथमिकी थाना कांड संख्या-33/09 को निरस्त कर दिये जाने को आधार बनाते हुए संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन को प्रतिकूल बताते हुए आरोप मुक्त

किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। श्री मंडल का कहना है कि कतिपय व्यवधान के कारण कार्य पूर्ण नहीं हुआ एवं अभिकर्ता द्वारा पूरी राशि लौटा दी गयी। ऐसी स्थिति में विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध राशि गबन कर लिये जाने से सम्बन्धित आरोप को प्रमाणित करने का न तो कोई तार्किक आधार है और न कोई साक्ष्य समर्पित किया गया है।

श्री मंडल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त, यह पाया गया है कि इन्होंने जिन बातों का जिक्र द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में किया है, उनपर विस्तृत रूप से विचार पूर्व में हुआ है। श्री मंडल रोजगारोन्मुखी नरेगा योजना की राशि से वर्णित योजनाओं में बिना कार्य हुए द्वितीय अग्रिम देने के दोषी हैं। श्री मंडल के भ्रष्ट आचरण से कुल सात योजनाओं में पाँच योजनाओं की राशि एक वर्ष तक बिना कार्य हुए स्वहित में लगी रही। जाँच समिति द्वारा जाँच प्रतिवेदन देने के बाद उपायुक्त के निदेश पर इन पाँच योजनाओं पर दिया गया अग्रिम जमा करा दिया गया एवं शेष दो योजनाओं में दिये गये अग्रिम के आलोक में कोई कार्य नहीं किया गया। इस प्रकार नरेगा योजना के उद्देश्य को विफल एवं बाधित किया गया। राशि का सही रूप में ससमय उपयोग नहीं होने से सामग्रियों की कीमत में वृद्धि के साथ-साथ मजदूरी वृद्धि के कारण राशि के मूल्य में गिरावट हुई एवं स्थानीय मजदूर रोजगार से वंचित हुए। इससे स्पष्ट है कि श्री मंडल ने अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में चूक की है।

अतः श्री मंडल के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए **निन्दन एवं दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड** दिया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 489—50 ।